





घोषणा- मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार-

**DECLARATION** - I hereby declare that to the best of knowledge and belief -

क. इस आवेदन में दी गई संपूर्ण जानकारी सत्य है।

**a. all information given in this application is true.**

ख. मैं जन्म से/अधिवास से /देशीयकरण द्वारा भारत का नागरिक हूँ।

**b. I am a citizen of India by birth / domicile / naturalisation.**

ग. मैंने किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित नहीं की है।

**c. I have not acquired citizenship of any other country.**

घ. किन्तु ऊपर 2(क) में दिए गए कारण से भारत में मेरे मामूली निवास के स्थान से अनुपस्थित होने के कारण, मैं मेरे भारतीय पासपोर्ट में दिए गए पते पर मामूली तौर पर निवासी रहूँगा, जिसे ऊपर [1(ज)] में उद्धृत किया गया है।

**d. But for being absent from the place of my ordinary residence in India owing to the reason given in 2(a) above, I would have been ordinarily resident at the address given in my Indian Passport, which has been reproduced at 1(j) above.**

ङ. मैं मेरे द्वारा भारतीय नागरिकता का त्याग किए जाने या मेरे द्वारा किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित किए जाने पर मेरे वर्तमान निवास के देश में भारतीय मिशन के माध्यम से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को तत्काल सूचित करने का वचन देता हूँ।

**e. I undertake to immediately inform the Electoral Registration Officer through the Indian Mission in the Country of my current residence if I renounce my Indian Citizenship or if I acquire the citizenship of any other country.**

च. मेरे निवास के देश में मेरे वर्तमान निवास के पते में कोई परिवर्तन होने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के अभिलेख के लिए मैं मेरे वर्तमान निवास के देश में भारतीय मिशन के माध्यम से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को तत्काल सूचित करने का वचन देता हूँ मैं यह जानता हूँ कि मेरे निवास पर भेजा गया कोई नोटिस, जो कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के अभिलेख के अनुसार मेरे वर्तमान निवास के देश में मेरे निवास का पता है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन मुझे नोटिस की सम्यक् तामील समझी जाएगी और यह मेरा उत्तरदायित्व है कि मेरे वर्तमान निवास के देश में मेरे अद्यतन निवास के पते की सूचना मैं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को देता रहूँ।

**f. I undertake to immediately inform the Electoral Registration Officer through the Indian Mission in the country of my current residence of any change in my residential address in the country of my residence for the records of the Electoral Registration Officer. I understand that any notice sent to me at the address, which is my residential address in the country of my current residence according to the records of the Electoral Registration Officer, shall be considered as due service of notice to me under the Representation of the People Act, 1950 and the rules made there under, and that it is my responsibility to keep the Electoral Registration Officer informed of my latest residential address in the country of my current residence.**

छ. यदि मैं भारत वापस लौटता हूँ और भारत में मामूली तौर पर निवासी हो जाता हूँ, तो मैं संबंधित विधान सभा/संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को तत्काल सूचित करूँगा।

**g. If I return to India and become ordinarily resident in India, I shall immediately inform the Electoral Registration Officer of the concerned Assembly/Parliamentary Constituency.**

ज. मैंने किसी अन्य निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है।

**h. I have not applied for inclusion of my name in the electoral roll of any other constituency.**

झ. इस या किसी अन्य निर्वाचन-क्षेत्र में मेरा नाम पहले सम्मिलित नहीं किया गया है या मेरा नाम.....राज्य के.....  
.....निर्वाचन क्षेत्र के, जिसमें मैं नीचे उल्लिखित पते पर पहले से ही मामूली तौर से निवास कर रहा था, निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जा सकेगा और यदि ऐसा है तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसे उस निर्वाचक नामावली से हटा दिया जाए या स्थानांतरित कर दिया जाए, जैसा भी उपयुक्त हो पूरा पता (मामूली तौर से निवास का पूर्व स्थान)..... निर्वाचक फोटो पहचान पत्र संख्याक (यदि जारी किया गया है).....  
..... जारी करने की तारीख..... ।

**i. My name has not already been included in this or any other constituency Or My name may have been included in the electoral roll of ..... Constituency in..... State in which I was ordinarily resident earlier at the address mentioned below and, if so, I request that the same may be deleted from that electoral roll, or transposed, as may be appropriate. Full address (earlier place of ordinary residence) .....  
..... Elector Photo Identity Card (if issued) Number .. .....  
..... date of issue.....**

ञ. मुझे भारत में निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी नहीं किया गया है/निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है जो निरस्तीकरण के लिए इस आवेदन के साथ संलग्न है।

**j. I have not been issued an EPIC in India/ have been issued an EPIC which is enclosed with this application for cancellation.**

टिप्पणी: कोई व्यक्ति, जो कोई ऐसा कथन या घोषणा करता, जो मिथ्य है और जिसके प्रति वह यह जानता है या विश्वास करता है कि वह मिथ्य है या उसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय है।

[Note – Any person who makes a statement or declaration which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, is punishable under Section 31 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950).]

स्थान Place .....

तारीख Date.....

आवेदक के हस्ताक्षर .....

Signature of Applicant

की गई कार्रवाई के ब्यौरे  
Details of action taken  
(निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा भरा जाएगा)  
(To be filled by Electoral Registration Officer of the constituency)

.....दिन/मास/वर्ष को प्राप्त आवेदन  
Application received on .....(DD/MM/YYYY)  
श्री/श्रीमती/कुमारी .....के प्ररूप 6 में प्राप्त आवेदन को (क) स्वीकार कर लिया गया है और उनके नाम को .....(निर्वाचन क्षेत्र) के क्रम सं०.....के भाग सं०.....की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है।  
The application in Form 6A of Shri/Shrimati/Kumari .....has been :- (a) Accepted and the name has been registered in the electoral roll of .....(constituency) at S.No.....Part No.....

(ख) अस्वीकार करने के कारण:-

(b) Rejected for the reason:-

स्थान: Place

तारीख : Date

ईआरओ/एईआरओ/बीएलओ का नाम/हस्ताक्षर  
Name/Signature of ERO/AERO/BLO



अभिस्वीकृति/रसीद  
Acknowledgement/Receipt



अभिस्वीकृति सं. -----

तारीख -----

Acknowledgement Number -----

Date -----

श्री/श्रीमती/सुश्री ----- से स्वयं का नाम सम्मिलित करने के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है

[आवेदक आवेदन की स्थिति की अभिस्वीकृति संख्या को निर्दिष्ट करते हुए जांच कर सकता है] ।

Received the application in form 6 of Shri / Smt. / Ms. -----

[ Applicant can refer the Acknowledgement No. to check the status of application].

ईआरओ/एईआरओ/बीएलओ का नाम/हस्ताक्षर  
Name/Signature of ERO/AERO/BLO

## आवेदन भरने के लिए दिशा-निर्देश

### GUIDELINES FOR FILLING UP THE APPLICATION

#### प्ररूप-6क FORM-6A

प्ररूप-6क कौन दाखिल कर सकता है

#### Who can file Form-6A

1. विदेश में रहने वाला भारत का प्रत्येक ऐसा नागरिक, जिसने किसी बाहर के देश की नागरिकता अर्जित नहीं की है, और वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, उस अवस्थान से, जिसमें उसके पासपोर्ट में यथा-उल्लिखित भारत में उसका निवास स्थान अवस्थित है, संबंधित निर्वाचन-क्षेत्र की नामावली में पंजीकरण के लिए प्ररूप 6क में आवेदन कर सकता है। प्ररूप 6क में आवेदन को सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

1. Every Indian citizen staying in a foreign country, who has not acquired citizenship of a foreign country, and has completed 18 years as on 1st January of the year, can make an Application in Form 6A for being registered in the roll for the constituency pertaining to the locality in which his place of residence in India as mentioned in the passport is located. The application in Form 6A can be presented to the registration officer concerned.

2- आवेदक ने उस वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। उदाहरण के लिए, यदि आवेदन 01-01-20... की अर्हक तिथि के संदर्भ में निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के लिए है तो आवेदक द्वारा 01-01-20... को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गयी हो।

2. The applicant should have completed eighteen years of age as on 1st January of the year. For example, if the application is for inclusion of name in the electoral roll with reference to 01-01-20..... as the qualifying date, the applicant should have completed 18 years as on 01-01-20.....

#### प्ररूप 6क की उपलब्धता

#### Availability of Form 6A

प्ररूप निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ)/सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(ईईआरओ) कार्यालय/नामोद्दिष्ट लोकेशनों/अधिकृत केन्द्रों में उपलब्ध होंगे। इसे एनवीएसपी पोर्टल अर्थात् <http://www.nvsp.in/> से या भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट अर्थात् <http://www.eci.nic.in> से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

Form will be available at EROs/AEROs Office/Designated Locations/Authorized Centres, It can also be downloaded from NVSP portal i.e, <http://www.nvsp.in/> or from the ECI website, i.e, <http://www.eci.nic.in>

#### प्ररूप 6क में आवेदन कहाँ जमा करना है

Where to submit the application in Form-6A

आवेदन उस निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) को सीधे प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके भीतर विधिमान्य पासपोर्ट में दिया गया आवेदक के सामान्य निवास का स्थान आता है। प्ररूप 6क में आवेदन ईआरओ को व्यक्तिशः प्रस्तुत किया जा सकता है या संबंधित ईआरओ को संबोधित डाक द्वारा भेजा जा सकता है। आवेदन निर्वाचन आयोग के नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल (एनवीएसपी) अर्थात् <http://www.nvsp.in/> पर या संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) की वेबसाइट (सीईओ की वेबसाइट के लिंक आयोग की वेबसाइट अर्थात् <http://www.eci.nic.in/main 1/link.aspx> पर दिए गए हैं) पर भी ऑनलाइन दाखिल किए जा सकते हैं। (भारत में सभी निर्वाचन-क्षेत्रों के ईआरओ के विवरण एवं डाक पते संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइटों पर उपलब्ध है जिसे भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट (<http://www.eci.nic.in>) के माध्यम से देखा जा सकता है।

The application should be submitted directly to the Electoral Registration Officer (ERO) of the constituency within which the place of ordinary residence of the applicant as given in the valid passport falls. The Application in Form 6A can be presented in person to the ERO or sent by post addressed to the ERO concerned. The application can also be filed online on the National Voter Service Portal (NVSP) of the Election Commission, i.e, <http://www.nvsp.in/> or on the website of Chief Electoral Officer of the State concerned(Link of CEOs' website has been provided on the Commissions website i. e, <http://www.eci.nic.in/main 1/link.aspx>).[The particulars and postal address of the EROs of all the constituencies in India are available on the websites of CEOs of concerned States which can be accessed through website of Election

Commission of India (<http://www.eci.nic.in>)

#### संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

#### Documents to be attached

3. आवेदक का सम्पूर्ण चेहरा उपदर्शित करते हुए हल्की पृष्ठभूमि (अधिमानतः सफेद) के साथ हाल का पासपोर्ट साईज का एक रंगीन फोटो चिपकाएं।

3. Paste one recent passport size coloured photograph with a light background (preferably white) showing the full face of the applicant.

4. प्ररूप 6क में सभी स्तंभों को भरें। नाम और अन्य विवरण, जैसा कि विधिमान्य भारतीय पासपोर्ट में दिया गया है, लिखे जाने चाहिए।

4. Fill in all the columns in Form-6A. The name and other particulars, as given in the valid Indian Passport, should be written.

5. यदि आवेदक डाक द्वारा भेजा जाता है तो उसके साथ आवेदक के फोटो और अन्य सभी विवरणों वाले पासपोर्ट के संगत पृष्ठों तथा विधिमान्य वीजा पृष्ठांकन वाले पृष्ठ की फोटो-प्रति संलग्न की जानी चाहिए। ये फोटो-प्रतियां विधिवत रूप से स्व-अभिप्रमाणित होनी चाहिए। इन दस्तावेजों की स्व-अभिप्रमाणित फोटो प्रतियों के बगैर प्राप्त आवेदन सरसरी तौर पर अस्वीकृत किए जा सकते हैं।

5. If application is sent by post, it should be accompanied by photo-copy of the relevant pages of the passport containing the photograph and all other particulars of the applicant and the page containing the valid visa endorsement. These photo-copies should be duly self-attested. Applications without the attested photo-copies of these documents will be liable to be summarily rejected.

6. यदि आवेदन ईआरओ के समक्ष व्यक्तिशः प्रस्तुत किया जाता है तो आवेदन के साथ ऊपर यथा-उल्लिखित पासपोर्ट के संगत पृष्ठों की फोटो-प्रति संलग्न की जानी चाहिए। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सत्यापन किए जाने के लिए आवेदन के साथ मूल पासपोर्ट भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पासपोर्ट सत्यापन किए जाने के उपरान्त तत्काल लौटा दिया जाएगा।

6. If the application is submitted in person before the ERO, the application should be accompanied by a photo-copy of the relevant pages of the passport as mentioned above. The original passport should also be produced alongwith the application for verification by the registration officer. The passport will be returned immediately after verification.

## मतदान

### Voting

7. यह नोट किया जाए कि आवेदक के नाम के पंजीकरण के बाद वे निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन में मत डालने में समक्ष हो पाएंगे बशर्ते वे मतदान के दिन अपने मूल पासपोर्ट के साथ मतदान केन्द्र पर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हों।

7. It may be noted that after enrolment of the name of the Applicant, he will be able to cast vote in election in the constituency, if he is physically present in the polling station along with his original passport on the day of poll.

\*\*\*\*\*